

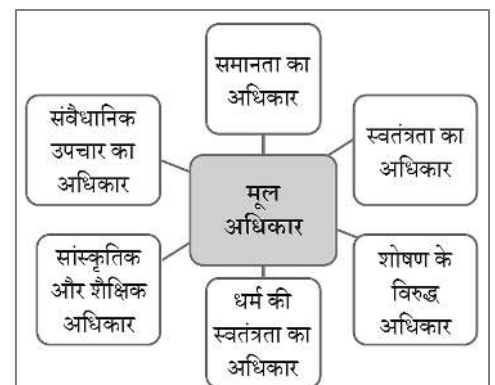
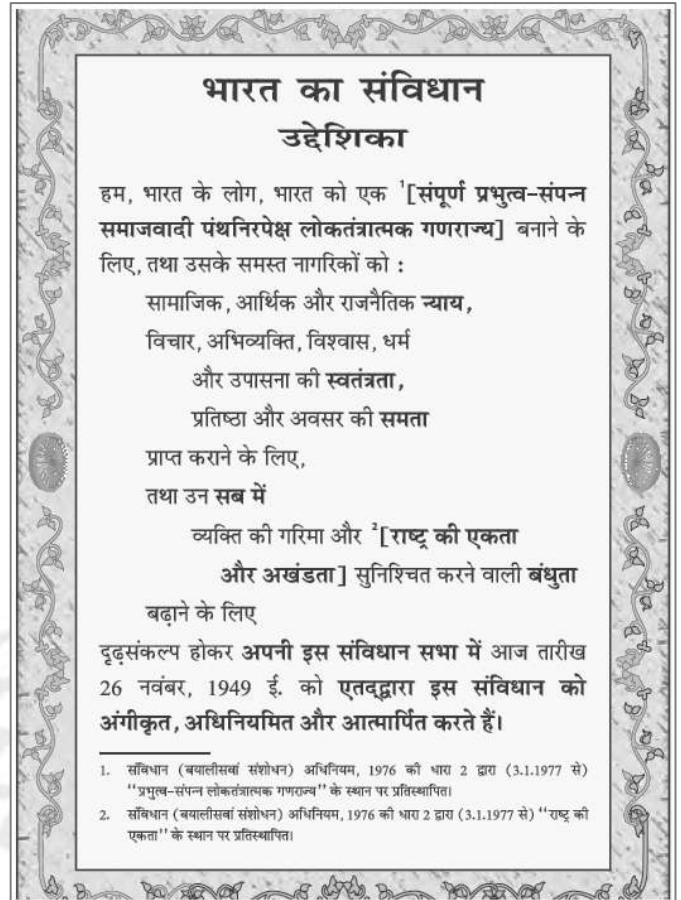
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

परिचय

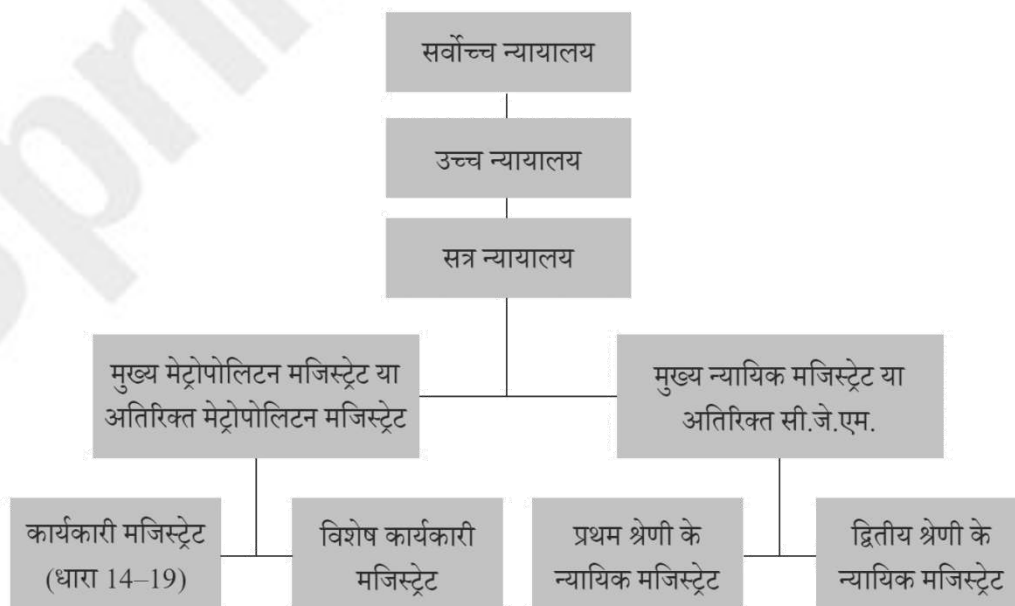
- आप जिन महत्वपूर्ण विषयों से परिचित हैं, उनमें मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हैं। मूल अधिकार न्यायोचित हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायोचित हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों को संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। हमें दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण किए बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कानूनों की आवश्यकता है। कानून नियमों का समूह है, जो सरकारी संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक आचरण को विनियमित करने के लिए बनाए और लागू किए जाते हैं।
- यह एक समुदाय के रीति-रिवाजों, प्रथाओं और आचरण के नियमों से संबंधित है, जो सभी पर बाध्यकारी हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि अपराध के पीड़ितों को न्याय मिले और अपराधियों को उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिले। कानून मानवाधिकारों, निष्पक्ष सुनवाई और शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। वे संविधान की प्रस्तावना के लक्ष्यों और उद्देश्यों, विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को, न्याय के संबंध में व्यवहार में प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आपने हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। आइए, हम इसका पुनः स्मरण करें।
- कानून हमें सभी प्रकार के भेदभाव, अन्याय, असमानता, हिंसा से संरक्षण प्रदान करते हैं और देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। यह नया आपराधिक कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2023 अपराधों की जाँच, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अदालती सुनवाई और गलत काम करने वालों को दंडित करने के लिए प्रभावी तरीके प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह घर, पड़ोस, विद्यालय, सार्वजनिक परिवहन और मनोरंजन के सभी स्थानों और साइबरस्पेस जैसे विभिन्न स्थानों पर किए जाने वाले अपराधों की आगे की घटना को रोकने के लिए किया जाता है।
- भारत में कानूनी व्यवस्था की बहुलता की समस्या को दूर करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सी-आर.पी.सी.) को पहली बार 1861 में पारित किया गया था। 1973 में, इस अधिनियम को मौजूदा सी-आर.पी.सी. द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और अग्रिम जमानत जैसे परिवर्तन प्रस्तुत किए गए। 2005 में इसमें संशोधन किया गया, ताकि याचिका सौदेबाजी (प्ली बारगेनिंग) और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों जैसे प्रावधानों को जोड़ा जा सके।
- निर्भया मामले से प्रेरित 2013 के संशोधन ने यौन हिंसा के विरुद्ध सख्त कानून प्रस्तुत किए, परीक्षण प्रक्रियाओं में तेजी लाई और पीड़ितों के संरक्षण के उपायों को बढ़ाया। 2018 के संशोधन ने यौन अपराधों के लिए दंड बढ़ाकर एवं बच्चों की संरक्षण के लिए अधिक व्यापक उपायों को सम्मिलित करके इन प्रावधानों को और मजबूत किया, जिसमें ऐसे मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी सम्मिलित है।

क्या आप जानते हैं कि इसे क्यों पारित किया गया था?

- न्याय की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए इस संहिता को प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य पुलिस जाँच और अदालती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। इसका उद्देश्य साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध और कई अन्य जैसे कुछ अपराधों पर ध्यान देना है, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। बी.एन.एस.एस. समय पर न्याय सुनिश्चित करने में सहायता करता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का परवर्ती बी.एन.एस.एस.. 2023 का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों, कानूनी प्रणाली में प्रौद्योगिकी के सीमित उपयोग, जाँच में देरी आदि जैसी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट कर त्वरित न्याय प्रदान करना है। बी.एन.एस.एस. के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने पर आप पाएँगे कि इसने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा बढ़ा दी है। पहली बार अपराधों के संबंध में परिवर्तन लाने के लिए एक अग्रणी पद्धति लागू की गई है। अपराधों के लिए दंड देने के स्थान पर, कुछ मामलों में, व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से सुधारात्मक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए 'सामुदायिक सेवा' पर ध्यान केंद्रित किया गया है।



मुख्य विशेषताएँ	स्पष्टीकरण
विचाराधीन कैदियों की हिरासत	बी.एन.एस.एस. ने कहा है कि यह प्रावधान निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होगा- i. दंडनीय अपराध के कारण आजीवन कारावास । ii. ऐसे व्यक्ति, जिनके विरुद्ध एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है।
मेडिकल जाँच	बी.एन.एस.एस. में प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी जाँच का अनुरोध कर सकता है।
फोरेंसिक जाँच	बी.एन.एस.एस. कम से कम 7 साल की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जाँच को अनिवार्य बनाता है। फोरेंसिक विशेषज्ञ फोरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेंगे। यदि किसी राज्य में फोरेंसिक सुविधा नहीं है, तो वह किसी अन्य राज्य में ऐसी सुविधा का उपयोग करेगा।
हस्ताक्षर और अँगुलियों के निशान	बी.एन.एस.एस. ने इसमें अँगुलियों के निशान और आवाज के नमूने भी सम्मिलित कर लिए हैं; यह इन नमूनों को ऐसे व्यक्ति से एकत्रित करने की अनुमति देता है, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।
गवाहों की सुरक्षा	न्याय देने में गवाहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे न्यायालय को महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें संभावित नुकसान या धमकी से बचाने के लिए, बी.एन.एस.एस. ने 'गवाह संरक्षण योजना' शुरू की है। राज्य सरकारों को ऐसी योजना का मसौदा तैयार करने और उसे अधिसूचित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
नामित पुलिस अधिकारी	प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में कम-से-कम सहायक उप-निरीक्षक रैंक का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उनकी जिम्मेदारी सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम, पते और उन पर लगे आरोपों का रिकॉर्ड रखना होगा। यह सूचना प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में प्रमुखता से, संभवतः डिजिटल रूप में प्रदर्शित की जाएगी।
ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन और इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण की परिभाषाएँ	बी.एन.एस.एस. 2023 में कुछ शब्दों (शब्दावली) को स्पष्ट करने के लिए नई परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई हैं। ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन' में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान, तलाशी और जब्ती या साक्ष्य जैसी रिकॉर्डिंग प्रक्रियाओं, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण संचारित करने और राज्य सरकार के नियमों द्वारा निर्धारित अन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी संचार उपकरण का उपयोग सम्मिलित है। 'इलेक्ट्रॉनिक संचार' का तात्पर्य टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऑडियो-वीडियो प्लेयर, कैमरा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से लिखित, मौखिक, सचित्र जानकारी या वीडियो सामग्री के प्रसारण या हस्तांतरण से है।
सुनवाई और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में हांगी	बी.एन.एस.एस. सभी कानूनी कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है। इसमें सम्मन और वारंट जारी करना, तामील करना और निष्पादित करना, शिकायतकर्ताओं और गवाहों की जाँच करना, पूछताछ और सुनवाई में साक्ष्य रिकॉर्ड करना और इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपील या अन्य कार्यवाही करना सम्मिलित है।
सम्मन की इलेक्ट्रॉनिक तामील	बी.एन.एस.एस. 2023 के अंतर्गत, सम्मन इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या तो एन्क्रिप्टेड प्रारूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार विधि के माध्यम से भेजा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सम्मन में न्यायालय की मुहर या डिजिटल हस्ताक्षर की छवि सम्मिलित होनी चाहिए, जिससे उनकी प्रामाणिकता और कानूनी वैधता सुनिश्चित हो सके।
पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण	नए कानूनों में पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाने पर बल देता है। यह पीड़ितों को आपराधिक कार्यवाही में आवश्यक हितधारकों के रूप में स्वीकार करता है, उन्हें भागीदारी अधिकार और सूचना का विस्तारित अधिकार प्रदान करता है। ये सुधार पीड़ितों की आवश्यकताओं और अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें अभूतपूर्व अधिकारों और अवसरों के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में केंद्रीय व्यक्ति बनाना है।



प्रश्नोत्तरी

1. भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब शुरू की गई थी?

(क) 11 अगस्त 2023

(ख) 13 सितंबर 2023

(ग) 20 दिसंबर 2023

(घ) 1 अगस्त 2023

(उत्तर- ग)

2. एफ.आई.आर. का पूरा नाम क्या है?

(क) अंतिम जाँच रिपोर्ट

(ख) प्रथम सूचना रिपोर्ट

(ग) फॉरेंसिक जाँच रिकॉर्ड

(घ) प्रथम जाँच रिकॉर्ड

(उत्तर- ख)

3. इस नए आपराधिक कानून का उद्देश्य क्या है?

(क) बेहतर शिक्षा प्रदान करना

(ख) लोगों को सुरक्षित रखना और न्याय सुनिश्चित करना

(ग) बुनियादी ढाँचे का विकास करना

(घ) आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

(उत्तर- ख)

4. ई-एफ.आई.आर. का क्या मतलब है?

(क) इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट

(ख) इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक जाँच रिकॉर्ड

(ग) संवर्धित प्रथम जाँच रिकॉर्ड

(घ) इलेक्ट्रॉनिक अंतिम जाँच रिपोर्ट

(उत्तर- क)

5. जीरो एफ.आई.आर. का क्या मतलब है?

(क) जीरो (शून्य) आरोपों वाली एफ. आई. आर.

(ख) जीरो अपराधों वाली एफ.आई.आर.

(ग) जीरो सबूत वाली एफ.आई.आर.

(घ) ऐसी एफ.आई.आर., जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है

(उत्तर- घ)

6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराध क्या है?

(क) ऐसा अपराध, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है

(ख) ऐसा अपराध, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती

(ग) धमकी देने से संबंधित अपराध

(घ) हिंसा से संबंधित अपराध

(उत्तर-क)

7. बी.एन.एस.एस. में गैर-संज्ञेय अपराध का क्या अर्थ है?

(क) ऐसा अपराध, जिसके लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता होती है

(ख) ऐसा अपराध, जिसके लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती

(ग) चोरी से संबंधित अपराध

(घ) हमले से संबंधित अपराध

(उत्तर- क)

8. वारंट क्या होता है?

(क) सरकार का कोई अधिकारी

(ख) सरकार से कोई प्रमाणपत्र

(ग) किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया रिट या आदेश

(घ) अधिवक्ता (वकील) की ओर से अनुरोध

(उत्तर- ग)

9. सी-आर.पी.सी., 1973 की जगह कौन-सा नया कानून लाया गया?

(क) भारतीय न्याय संहिता

(ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(घ) भारतीय नागरिक संहिता

(उत्तर - ख)

10. वारंट कौन जारी कर सकता है?

(क) अधिवक्ता (वकील)

(ख) पत्रकार

(ग) पुलिस अधिकारी

(घ) कोई भी नागरिक

(उत्तर- ग)

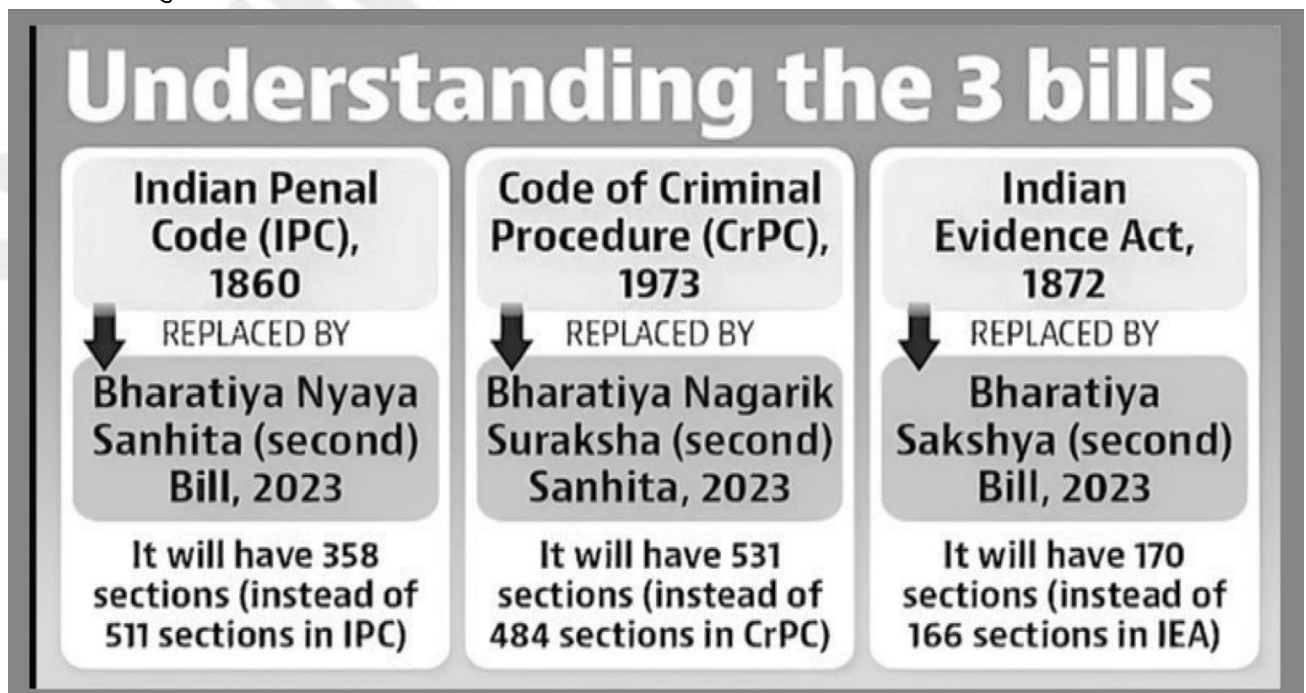
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

परिचय

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 पर यह मॉड्यूल शिक्षा प्रणाली के सभी स्टेकहोल्डर्स को BNSS को लागू करने के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा, जो 1973 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) को बदलने के लिए लाया गया एक कानूनी सुधार है। BNSS का लक्ष्य भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने वाले प्रक्रिया कानूनों को आधुनिक बनाना और बेहतर बनाना है, और इसे समकालीन ज़रूरतों के प्रति अधिक कुशल और जवाबदेह बनाना है।
- BNSS एक प्रक्रियात्मक कानून है जो भारत में आपराधिक अपराधों की जांच और मुकदमे की प्रक्रिया बताता है। यह एक व्यापक कानून है जो आपराधिक मामले के रजिस्ट्रेशन से लेकर अदालतों द्वारा फैसला सुनाए जाने तक आपराधिक कार्यवाही के सभी पहलुओं को कवर करता है।

दलील

- इस मॉड्यूल के बाद बच्चे यह समझ पाएंगे कि BNSS का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और पारदर्शी हो। इसका उद्देश्य अपराधों की जांच और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक प्रभावी सिस्टम तैयार करना, साथ ही आरोपी के अधिकारों की रक्षा करना भी है। BNSS आपराधिक अपराधों की जांच के लिए स्पष्ट गाइडलाइन बताता है, जिसमें जांच अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य, संदिग्धों और गवाहों के अधिकार और सबूत इकट्ठा करने और सुरक्षित रखने की प्रक्रियाएं शामिल हैं।
- बच्चे BNSS के निम्नलिखित तर्क को समझ पाएंगे:
 - निष्पक्ष, पारदर्शी और तेज़ जांच और ट्रायल प्रक्रियाओं के ज़रिए भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलना। BNSS आपराधिक अपराधों की जांच के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बताता है, जिसमें जांच अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्यों, संदिग्धों और गवाहों के अधिकार और सबूत इकट्ठा करने और सुरक्षित रखने की प्रक्रियाएं शामिल हैं।
 - नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, सज़ा के स्थान पर न्याय पर ध्यान देना।
 - बेहतर कानूनी सहायता जैसी सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना।
 - साइबर अपराध जैसे नए अपराधों से निपटना और अदालती कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की अनुमति देना। यह ट्रायल, अपील के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है और कार्यवाही के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देता है।
 - औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलना।
 - गलत काम करने वालों को सज़ा देना।
 - समाज में अपराधों को दोबारा होने से रोकना।
 - लोगों, खासकर अपराधियों के व्यवहार और आचरण को विनियमित करना।
 - पीड़ित को राहत देना।
 - अपराधियों में सुधार और उनका पुनर्वास।
 - आम लोगों के मन में डर पैदा करना ताकि वे किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों।
 - BNSS का सबसे बड़ा उद्देश्य वर्तमान आपराधिक प्रक्रिया प्रणाली में विद्यमान कमियों के ज़रिए होने वाली प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल से नागरिकों की सुरक्षा करना है।



विवरण

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

- सतत लक्ष्य में बच्चों के कल्याण और क्रिमिनल जस्टिस व्यवस्था से जुड़े लक्ष्य भी शामिल हैं, और भारत इन्हें हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेषतः निम्नलिखित है -
 - **SDG 3:** 'सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और उनकी भलाई को बढ़ावा देना'।
 - **SDG 4:** 'सभी के लिए समावेशी और गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और जीवन भर सीखने को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों पर ज्ञान और कौशल के महत्व को उजागर करना और शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देना' साथ ही 'बच्चों, लिंग और विकलांगता के प्रति संवेदनशील सुविधाएं प्रदान करना और सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी अधिगम का वातावरण तैयार करना'।
 - **SDG 16:** SDG 16 का लक्ष्य है "सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी को न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तर पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थान बनाना"। SDG 16 को हासिल करने के लिए दुनिया भर में आपराधिक न्याय प्रणालियों में सुधार और उन्हें मजबूत करने के प्रयासों की ज़रूरत है, यह सुनिश्चित करना कि वे निष्पक्ष, प्रभावी हों और आय, लिंग, उम्र, विकलांगता या किसी भी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ हों।



भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रासंगिकता

- BNSS का मुख्य उद्देश्य आपराधिक अपराधों से जुड़े कानूनों के तहत दिए गए अपराधों की गिरफ्तारी, जांच, पूछताछ और मुकदमे की प्रक्रिया को विनियमित करना है।
- आपराधिक न्याय प्रणाली कानूनों, प्रक्रियाओं और संस्थानों का एक समूह है जिसका लक्ष्य सभी लोगों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपराधों को रोकना, पता लगाना और दंडित करना है।
- इसमें पुलिस बल, न्यायपालिका, विधायी निकाय और फॉरेंसिक और जांच एजेंसियों जैसे अन्य सहायक संगठन शामिल हैं।
- भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध होने के बाद और पुलिस स्टेशन में FIR (फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज होने के बाद, ट्रायल में ये चरण शामिल होते हैं:
 - मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं।
 - अभियोजन पक्ष सबूत और गवाह पेश करता है।
 - आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है और आरोपी का बयान रिकॉर्ड किया जाता है।
 - आरोपी की तरफ से बचाव पक्ष का वकील सबूत पेश करता है।
 - दोनों वकील, यानी अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष, अपनी आखिरी दलील देते हैं।
 - आखिरी और फाइनल दलीलों के बाद आखिरी चरण कोर्ट का फैसला होता है, जिसमें आरोपी को या तो बरी कर दिया जाता है (अगर वह निर्दोष पाया जाता है) या दोषी ठहराया जाता है (अगर वह दोषी पाया जाता है)।

भारत के मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या समस्याएँ हैं?

समस्याएँ	इसके प्रभाव
लंबित मामले	नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, न्यायपालिका के अलग-अलग लेवल पर भारतीय अदालतों में 4.7 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं। इससे न्याय मिलने में देरी होती है, जल्दी सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है, और व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम होता है।
संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी	आपराधिक न्याय प्रणाली अपर्याप्त अनुदान, कार्यबल और सुविधाओं से जूझ रही है। जजों, अभियोजक, पुलिस कर्मियों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और कानूनी सहायता वकीलों की कमी है, जिससे न्याय मिलने में बाधा आती है।
जांच और अभियोजन की खराब गुणवत्ता	जांच और अभियोजन एजेंसियाँ अक्सर पूरी, निष्पक्ष और पेशावर जांच करने में नाकाम रहती हैं। उन्हें राजनीतिक और दूसरे प्रभावों, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी का सामना करना पड़ता है।
मानवाधिकारों का उल्लंघन	आपराधिक न्याय प्रणाली पर अक्सर आरोपी, पीड़ितों, गवाहों और दूसरे संबंधित लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगता है। हिरासत में यातना, गैर-कानूनी हत्याएं, गैर-कानूनी हिरासत, जबरन कबूलनामे, अनुचित ट्रायल वगैरह के मामले सामने आते हैं।
अप्रचलित कानून और प्रक्रियाएं	टेक्नोलॉजी के आने और अपराधों के लगातार जटिल होते स्वरूप के कारण, मौजूदा कानून अपराधों से निपटने और प्रभावित पक्ष को न्याय दिलाने में नाकाम रहे हैं। उदाहरण के लिए, साइबर अपराधों के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजी और अपराध करने में उनके संभावित इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए नवीन प्रावधानों की ज़रूरत है।

BNS में प्रस्तावित सुधारों का महत्व: तर्क

- इस सुधार का मकसद पुराने और जटिल क्रिमिनल कानूनों को आधुनिक बनाना और आसान बनाना है। यह सुधार कानूनों को भारतीय भावना और संस्कृति के ज़्यादा करीब लाएगा, और अपराध, समाज और टेक्नोलॉजी के बदलते स्वरूप को दिखाएगा।
- ये सुधार जांच, अभियोजन और न्याय प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सबूत और फॉरेंसिक का इस्तेमाल बढ़ाएंगे।
- यह सुधार नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, गरिमा, निजता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, की प्रभावी सुरक्षा भी प्रदान करेगा।

Changes proposed in criminal laws

Union home minister Amit Shah has introduced three key bills in the Lok Sabha that, if approved, will overhaul India's criminal justice system. A look at key aspects of the bills

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS) BILL, 2023

Proposed to replace Indian Penal Code (IPC), 1860

The IPC, which was framed by the British, is the official criminal code of India that lists various crimes and its punishments

KEY TAKEAWAYS

- Sedition deleted, but another provision penalising secessionism, separatism, rebellion and acts against sovereignty, unity and integrity of India brought in
- Provision of **death penalty** for gang rape of minors and for mob lynching
- **Community service introduced** as one of the punishments for the first time

THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

Proposed to replace Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973

The CrPC lays down the procedure for investigation, arrest, court hearing, bail and punishment in criminal cases

KEY TAKEAWAYS

- **Time-bound investigation**, trial and judgment within 30 days of the completion of arguments
- **Video-recording** of the statement of sexual assault victims to be made mandatory
- New provision for **attachment of property and proceeds of crime**

THE BHARATIYA SAKSHYA BILL, 2023

Proposed to replace the Indian Evidence Act, 1872

The IEA applies to all judicial proceedings in the country and defines the particulars of evidence produced and admissible in courts

KEY TAKEAWAYS

- **Documents to also include** electronic or digital records, e-mails, server logs, computers, smart phones, laptops, SMS, websites, locational evidence, mails, messages on devices
- **Digitisation of all records** including case diary, FIR, charge sheet and judgement
- Electronic or digital record shall have the same legal effect, validity and enforceability as paper records

कार्यप्रणाली

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 की विधायी यात्रा

- **20 दिसंबर, 2023:** भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 को लोकसभा में स्वीकृति प्राप्त हुई।
- **21 दिसंबर, 2023:** भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 ने राज्यसभा की बाधा पार की।
- **25 दिसंबर, 2023:** भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिससे यह कानून बन गया।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय नागरिक सुरक्षा की तुलना

अधिनियम का नाम	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
अधिनियमन का वर्ष	1973	2023
उद्देश्य	भारत में आपराधिक अपराधों की जांच, गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने, ट्रायल और सज़ा के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करना।	आपराधिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और सुव्यवस्थित करने, दक्षता बढ़ाने, नागरिकों के अधिकारों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और उभरते अपराधों से निपटने के लिए।
दायरा	इसमें राज्य, व्यक्ति, संपत्ति, प्रतिष्ठा और धर्म के खिलाफ अपराधों सहित कई तरह के आपराधिक अपराध शामिल हैं।	इसमें CrPC के ज़्यादातर अपराध शामिल हैं, लेकिन आतंकवाद, संगठित अपराध और कुछ विशेष कारणों से किसी गुप द्वारा हत्या या गंभीर चोट जैसे नए अपराध भी जोड़े गए हैं।
जाँच पड़ताल	जांच करने की मुख्य ज़िम्मेदारी पुलिस की होती है।	गंभीर अपराधों (7 साल से ज़्यादा की सज़ा) के लिए फॉरेंसिक जांच ज़रूरी है।
समयबद्ध जांच	जांच पूरी करने के लिए कोई सख्त समय सीमा नहीं है।	समय पर न्याय सुनिश्चित करने और केसों के बैकलॉग को कम करने के लिए जांच पूरी करने के लिए विशेष समय-सीमा तय की गई है।
प्रौद्योगिकी का उपयोग	जांच में टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए सीमित प्रावधान हैं।	दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए साक्ष्य संकलन, मामले के प्रबंधन और डिजिटल रिकॉर्ड-रखरखाव में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ज़ोर देता है।
गवाह संरक्षण	गवाहों की सुरक्षा के लिए सीमित प्रावधान।	गवाहों की सुरक्षा और हिफाज़त सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाता है, जिससे उन्हें बदले की भावना के डर के बिना आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
पीड़ित मुआवजा	पीड़ितों को मुआवज़ा देने के प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन वे अक्सर अपर्याप्त होते हैं और उन्हें लगातार लागू नहीं किया जाता है।	पीड़ितों के लिए मुआवज़े की योजनाओं को मजबूत करता है और तुरंत राहत और लंबे समय तक मदद सहित, ज़्यादा व्यापक और लगातार लागू होना सुनिश्चित करता है।
किशोर न्याय	नाबालिग अपराधियों के लिए अलग प्रक्रियाएं मौजूद हैं, लेकिन उन्हें आधुनिक बनाने की ज़रूरत है।	नाबालिग अपराधियों से जुड़ी प्रक्रियाओं को अद्यतन और मजबूत करता है, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है और सज़ा के बजाय पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है।
अतिरिक्त सुविधाओं	अपराधों को संज्ञेय (गंभीर) और गैर-संज्ञेय (कम गंभीर) अपराधों में बांटना, प्रारंभिक जांच के प्रावधान, आपराधिक प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में मजिस्ट्रेट की भूमिका, आदि।	महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर नए अध्याय, वैकल्पिक सज़ा के तौर पर सामुदायिक सेवा, राजद्रोह की जगह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए नया अपराध, आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS), जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का स्थान लेगी, अदालतों में लंबित मामलों, कानूनी प्रणाली में प्रौद्योगिकी के सीमित इस्तेमाल, जांच में देरी और फॉरेंसिक तरीकों के अपर्याप्त इस्तेमाल जैसी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटकर न्याय देने की प्रक्रिया को तेज़ करना चाहती है। इस एक्ट द्वारा लाए गए बदलावों को नीचे विस्तार से बताया गया है:

- जांच और ट्रायल में टेक्नोलॉजिकल प्रगति और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का इस्तेमाल—पारंपरिक तरीकों से यह बदलाव आपराधिक कार्यवाही में देरी को कम करने की उम्मीद है।
- ज़ीरो FIR
- BNSS में स्पष्ट समय-सीमाओं की शुरुआत एक प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को बढ़ावा देती है।
- पीड़ितों के हितों की सुरक्षा—BNSS अब यह तय करता है कि पीड़ित को जांच में हुई प्रगति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, और उसे अभियोजन पक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ और सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है।
- गवाह संरक्षण योजना
- BNSS भारत में आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए अदालतों का एक पदानुक्रम स्थापित करता है।
- BNSS बलात्कार, एसिड अटैक, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों जैसे अपराधों के आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के इस्तेमाल का प्रावधान करता है।
- फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही पर ध्यान
- BNSS अधिकारियों को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण ज़ब्त करने की इजाज़त देता है, जिन पर जांच से जुड़े डिजिटल सबूत होने का शक हो।
- सभी ट्रायल, पूछताछ और कोर्ट की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जा सकती है।

ज़ीरो FIR क्या है?

- BNSS खास तौर पर संज्ञेय (गंभीर) अपराधों के मामले में किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने की इजाज़त देता है, यानी अपराध किस इलाके में हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता (ज़ीरो FIR)। इसमें यह ज़रूरी है कि FIR को 15 दिनों के अंदर उस स्टेशन में ट्रांसफर किया जाए जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ था।

FIR और ज़ीरो FIR में क्या अंतर है?

- आम तौर पर, FIR उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी होती है जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ हो। हालांकि, ज़रूरी और गंभीर संज्ञेय अपराधों (जैसे रेप, मर्डर आदि में), समय बर्बाद होने से बचने के लिए, आप अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में ज़ीरो FIR दर्ज करवा सकते हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) क्या थी?

- CrPC में गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने और जमानत की प्रक्रिया बताई गई है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 (CrPC) एक प्रक्रिया कानून था जिसे भारतीय न्याय संहिता, 1860 (IPC) के क्रियान्वयन के लिए बनाया गया था। यह अपराधों के लिए जांच, गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने और जमानत की प्रक्रिया को नियंत्रित करता था। CrPC पहली बार 1861 में भारत में कई कानूनी सिस्टम की समस्या को हल करने के लिए पास किया गया था। 1973 में, इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया और इसकी जगह संशोधित CrPC लाया गया। 2005 में इसमें नए बदलाव जोड़ने के लिए इसे फिर से संशोधित किया गया।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) का उद्देश्य सुशासन और कुशल न्याय प्रणाली, नागरिक केंद्रित नई आपराधिक प्रक्रिया, जांच में टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल, पीड़ित राहत प्रणाली, मानवाधिकारों की सुरक्षा है।

ZERO FIR



Zero FIR means that one can file an FIR in any police station, that is, irrespective of the place of incident or jurisdiction. The same can later be transferred to the police station having jurisdiction for the investigation to begin.

Curtains on IPC, CrPC as new criminal laws kick in

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Indian Penal Code (IPC), Code of Criminal Procedure (CrPC) and Indian Evidence Act, the British-era laws that formed the basis of the criminal justice system of the country for over 150 years

when the three new criminal laws brought by the National Democratic Alliance (NDA) led by Prime Minister Narendra Modi come into force.

Police and central agencies will start registering cases under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), which replaces the IPC, from Monday and follow procedures related to arrests, filing of charge sheets, collecting of evidence, recording of statements, etc according to the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA). BNSS and BSA replace the CrPC and the Indian Evidence Act, respectively.

Major overhaul for India's criminal laws

Indian Penal Code (IPC), 1860 REPLACED BY Bharatiya Nyaya Sanhita It will have 358 sections (instead of 511 sections in IPC)	Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973 REPLACED BY Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) It will have 531 sections (instead of 484 sections in CrPC)	Indian Evidence Act, 1872 REPLACED BY Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) It will have 170 sections (instead of 166 sections in IEA)
---	--	---

Sections we're used to will now become...

IPC SECTION	CRIME	IPC SECTION	UNDER BNS...
124A	SEDITION	152	124 prescribes to ACID ATTACK
302	MURDER	101	302 prescribes to HURTING RELIGIOUS FEELINGS
354	ASSAULT OR CRIMINAL FORCE TO WOMAN TO OUTRAGE HER MODESTY	74	354: NOT CAUSED BY INDUCING PERSON TO BELIEVE THEY WILL FACE DIVINE DISPLEASURE
376	RAPE	63	376 does not exist under BNS
144	UNLAWFUL ASSEMBLY	189	144 prescribes to EXPLOITATION OF A TRAFFICKED PERSON
420	CHEATING AND DISHONESTLY INDUCING DELIVERY OF PROPERTY	318	420 does not exist under BNS

पारिभाषिक शब्दावली

संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
BNSS	Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
BNS	Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
BSA	Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
CrPC	Code of Criminal Procedure
FIR	First Information Report
IEA	Indian Evidence Act
IPC	Indian Penal Code
SC	Supreme Court
HC	High Court
NCERT	National Council of Educational Research and Training
NHRC	National Human Rights Commission
NEP	National Education Policy
SDG	Sustainable Development Goal

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

परिचय

- भारत सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को अधिनियमित किया गया है। इस संहिता से न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के प्रति वचनबद्धता को रूपांतरित करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त इससे देश के सभी नागरिकों के लिए समानता और बंधुता सुनिश्चित करने में भी आसानी होगी। संहिता के माध्यम से भारतीय संविधान में उल्लिखित रूप में मूल कर्तव्यों को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। इससे भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना, धर्म, भाषा संबंधी और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से ऊपर उठने व महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने में मदद मिलेगी।
- इस संहिता से विधिशास्त्र (न्यायशास्त्र) के क्षेत्र और भारतीय विधिक प्रणाली में सुधार आया है। इसका मुख्य प्रयास यह है कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को त्वरित एवं आधुनिक बनाया जाए तथा इसे समाज की समकालीन आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जाए। यह संहिता एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इसके द्वारा औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करने और परिवार, सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ स्कूलों जैसे पारस्परिक सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्थानों में होने वाले सभी प्रकार के अपराधों को कम करने के लिए निवारक विधि (कानून) बनाने का प्रयास किया जाता है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से आपराधिक कार्यवाही में प्रौद्योगिकी के उपयोग में मदद मिलती है। पीड़ित पर केंद्रित सुरक्षा को मजबूत बनाया जाता है और आपराधिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाता है। यह संहिता अभियुक्तों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रयास करती है, जैसे निर्दोष होने की पूर्वधारणा होना और कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार आदि। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में एकल संकट समाधान केंद्र (वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर), सुरक्षा अधिकारियों, परामर्शदाताओं और आश्रयों के माध्यम से मुआवजे और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।



भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का विकास

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी.आर.पी.सी.) के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाना।
- सी.आर.पी.सी. को भारत में विधिक प्रणाली में अनेक प्रकार की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए 1861 में पहली बार पारित किया गया था। वर्ष 1973 में, तत्कालीन अधिनियम को मौजूदा सी.आर.पी.सी. द्वारा पुनः प्रतिस्थापित किया गया था और इसमें अग्रिम जमानत जैसे बदलाव पेश किए गए थे। वर्ष 2005 में सौदा अभिवाक् (प्ली बार्गेनिंग) के प्रावधान और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों जैसे बदलावों को जोड़ने के लिए इसमें संशोधन किया गया था।
- निर्भया मामले से प्रेरित होकर वर्ष 2013 के संशोधन में यौन हिंसा के खिलाफ कानून लाया गया, जल्द सुनवाई प्रक्रियाओं और पीड़ित के सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया। वर्ष 2018 के संशोधन में यौन अपराधों के लिए दण्ड को बढ़ाकर और ऐसे मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना करने सहित बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिक व्यापक उपायों को शामिल करके इन प्रावधानों को और भी मजबूत किया गया।
- क्या आप जानते हैं? संज्ञेय अपराध, वे गंभीर अपराध होते हैं, जिसमें पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की अनुमति है। जबकि गैर-संज्ञेय अपराध कम गंभीर होते हैं और गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता होती है।
- क्या आप जानते हैं? अपराधों को इस आधार पर कि आरोपी को अधिकार के तौर पर या अदालत के विवेक पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है या नहीं, इन्हें जमानती और गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारत में मूल अपराध विधियों के प्रबंधन प्रक्रिया पर मुख्य विधान है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में सी.आर.पी.सी. के अधिकांश प्रावधानों को संरक्षित किया गया है, हालाँकि इसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया को सरल बनाना, विचारण अवधि कम करना, प्रक्रिया के लिए समयसीमा निर्धारित करना आदि हैं।
- इसमें अपराधों अर्थात् संज्ञेय और गैर-संज्ञेय को अलग करने का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा, अपराध की प्रकृति अर्थात् जमानती और गैर-जमानती प्रावधान शामिल हैं।

औचित्य

- जैसा कि पहले उल्लिखित किया गया है, इस संहिता में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन किया गया है। जैसा कि इस महत्वपूर्ण अधिनियम में कहा गया है, इसमें वे प्रक्रियाएँ शामिल की गई हैं, जो नागरिकों के हितों को संज्ञान में लेकर बनाई गई हैं, जो परिस्थितियों की विविधता के कारण अपराध के शिकार होते हैं और इनसे व्यक्तियों का शारीरिक एवं भावनात्मक कल्याण प्रभावित होता है। इस संहिता को लाने का कारण समय पर न्याय प्रदान करना है, जिसमें देरी न हो या मना नहीं किया जाए। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मामलों का संदर्भ दिया जा रहा है।
- क्या आप जानते हैं? जहाँ एक मामला दो या अधिक अपराधों से संबंधित है, जिसमें से कम से कम एक संज्ञेय है, तो उस मामले को संज्ञेय माना जाएगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की मुख्य विशेषताएँ

क्र.सं .	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
1. विचाराधीन व्यक्ति को हिरासत में लेना	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में जोड़ा गया है कि ये प्रावधान निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होंगे- i आजीवन कारावास के दण्डनीय अपराध ii जिन व्यक्तियों के विरुद्ध एक से अधिक अपराध की कार्यवाहियाँ लंबित हैं।
2. चिकित्सा परीक्षण	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, परीक्षण के लिए अनुरोध कर में प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी इस 2023 सकता है।
3. फॉरेन्सिक (न्यायालयी) जाँच	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वर्षों के लिए न्याय 7 में दण्डनीय अपराधों सहित कारावास के कम से कम 2023 संबंधी जाँच अधिदेशित है। न्याय संबंधी विशेषज्ञ न्याय संबंधी साक्ष्य को प्राप्त करने और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए आपराधिक स्थलों का दौरा करेंगे। यदि किसी राज्य में न्याय संबंधी सुविधा नहीं है तो अन्य राज्य में उक्त सुविधा का उपयोग किया जाएगा।
4. हस्ताक्षर और अँगुलियों के निशान	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, में अँगुलियों की छाप और आवाज के नमूने को शामिल करने के लिए इसका 2023 विस्तार किया गया है। इसमें इन नमूनों को उस व्यक्ति से प्राप्त किए जाने के लिए अनुमति दी जाती है, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।
5. गवाह की सुरक्षा	गवाह न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे न्यायालय को मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें संभावित हानि या धमकी से बचाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गवाह सुरक्षा योजना पेश की गई है। राज्य सरकार को इस योजना का प्रारूप तैयार करने और अधिसूचित करने का दायित्व दिया गया है।
6. नामित पुलिस अधिकारी	प्रत्येक जनपद और थाने में कम से कम सहायक उपनिरीक्षक रैंक का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। - उनकी जिम्मेदारी सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम, पते और उन पर लगे आरोपों का रिकॉर्ड रखने की होगी। यह जानकारी प्रत्येक थाने और जिला मुख्यालय में प्रमुखता से संभवतः डिजिटल रूप में प्रदर्शित की जाएगी।

7. ऑडियोवीडियो - इलेक्ट्रॉनिक साधन और इलेक्ट्रॉनिक संचार की परिभाषाएँ	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,ए नई परिभाषाएँ पेश की गई हैं। को स्पष्ट करने के लि (पों) में कुछ शब्दों 2023 वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग-ऑडियो, पहचान, तलाशी और जब्ती या साक्ष्य जैसी रिकॉर्डिंग प्रक्रियाओं, इलेक्ट्रॉनिक संचार संचारित करने और राज्य सरकार के नियमों द्वारा निर्धारित अन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी संचार उपकरण का उपयोग शामिल है। 'इलेक्ट्रॉनिक संचार का तात्पर्य टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऑडियो-वीडियो प्लेयर, कैमरा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों - के माध्यम से लिखित, मौखिक, चित्रात्मक जानकारी या वीडियो सामग्री के प्रसारण या हस्तांतरण से है।
8. विचारण और (ट्रायल) कार्यवाहियाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जाएँ।	बीसवीं कानून .एस.एस.एन.नी कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है। इसमें सम्मन और वारंट जारी करना, तामील करना और निष्पादित करना, शिकायतकर्ताओं और गवाहों की जाँच करना, पूछताछ और सुनवाई में साक्ष्य रिकॉर्ड करना और इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण या ऑडियोवीडियो इल-ेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपील या अन्य कार्यवाही करना सम्मिलित है।
9. समन की इलेक्ट्रॉनिक तामील	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,के तहत 2023 , समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो एन्क्रिप्टेड प्रारूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार विधि के माध्यम से दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक समन में न्यायालय की मुहर या डिजिटल हस्ताक्षर की छवि शामिल होनी चाहिए, ताकि उनकी प्रामाणिकता और कानूनी वैधता सुनिश्चित हो सके।
10. पीड़ितकेंद्रित दृष्टिकोण-	नए कानूनों में पीड़ित पर केंद्रित दृष्टिकोण न्याय प्रणाली की सक्षमता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। इसमें पीड़ितों को आपराधिक कार्यवाई में आवश्यक हितधारकों के रूप में स्वीकार किया जाता है, उन्हें भागीदारी के अधिकार और सूचना के अधिकार का विस्तार प्रदान किया जाता है। इन सुधारों में पीड़ितों की आवश्यकताओं और अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसका उद्देश्य उन्हें असाधारण अधिकारों और अवसरों के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में केंद्रीय व्यक्ति बनाना है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ

A. किसी अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा सकती है

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में संज्ञेय अपराध (वह गंभीर अपराध, जिस पर पुलिस बिना वारंट के कार्यवाई कर सकती है।) के बारे में जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने की अनुमति दी गई है। यह इस प्रकार काम करता है-
 - इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति** - पुलिस को किसी अपराध के बारे में सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसे-कॉल या वेबसाइट से भेजी जा सकती है।
 - हस्ताक्षर** - जहाँ सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है, वहाँ इस पर 3 दिनों के अंदर हस्ताक्षर करना होता है।
 - एफ.आई.आर. की प्रति**- पुलिस सूचना दर्ज करने के बाद सूचना देने वाले व्यक्ति या पीड़ित को एफ.आई.आर. की एक निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराएगी।
 - महिलाओं के लिए विशेष मामले**- यौन अपराधों के मामलों में बयान महिला पुलिस अधिकारी या किसी भी महिला अधिकारी को दर्ज करना होगा।
 - पुलिस के मना करने के बारे में शिकायत** - यदि कोई पुलिस अधिकारी एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना करता है, तो पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जा सकता है।
- क्या आप जानते हैं? पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी हिरासत से बचाने के लिए 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

B. जीरो एफ.आई.आर.

- जीरो एफ.आई.आर. एक ऐसी एफ.आई.आर. है, जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। फिर इसे उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहाँ अपराध हुआ था। पुलिस किसी गंभीर अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत जीरो एफ.आई.आर. दर्ज करेगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जाँच प्रक्रिया बिना किसी देरी के प्रारंभ की जा सके।
- क्या आप जानते हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत किसी अपराध के प्रत्येक आरोपी व्यक्ति को कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी निष्पक्ष सुनवाई हो।

C. पीड़ित को प्रगति रिपोर्ट

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार- पीड़ितों को अपने मामले की प्रगति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज होने की तारीख से 90 दिनों के अंदर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना शामिल है। इस रिपोर्ट में जाँच एवं की गई किसी भी गिरफ्तारी और मामले से संबंधित अन्य संगत घटनाक्रमों के बारे में अद्यतित करना शामिल हैं। पीड़ितों के समक्ष पारदर्शिता बनाए रखने और कानूनी प्रक्रिया में उनका भरोसा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सूचित रखना आवश्यक है।
- क्या आप जानते हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, यदि जाँच निर्धारित समय के अंदर पूरी नहीं होती है, तो आरोपी को जमानत पाने का अधिकार होता है।

D. पुलिस द्वारा तलाशी और जब्ती

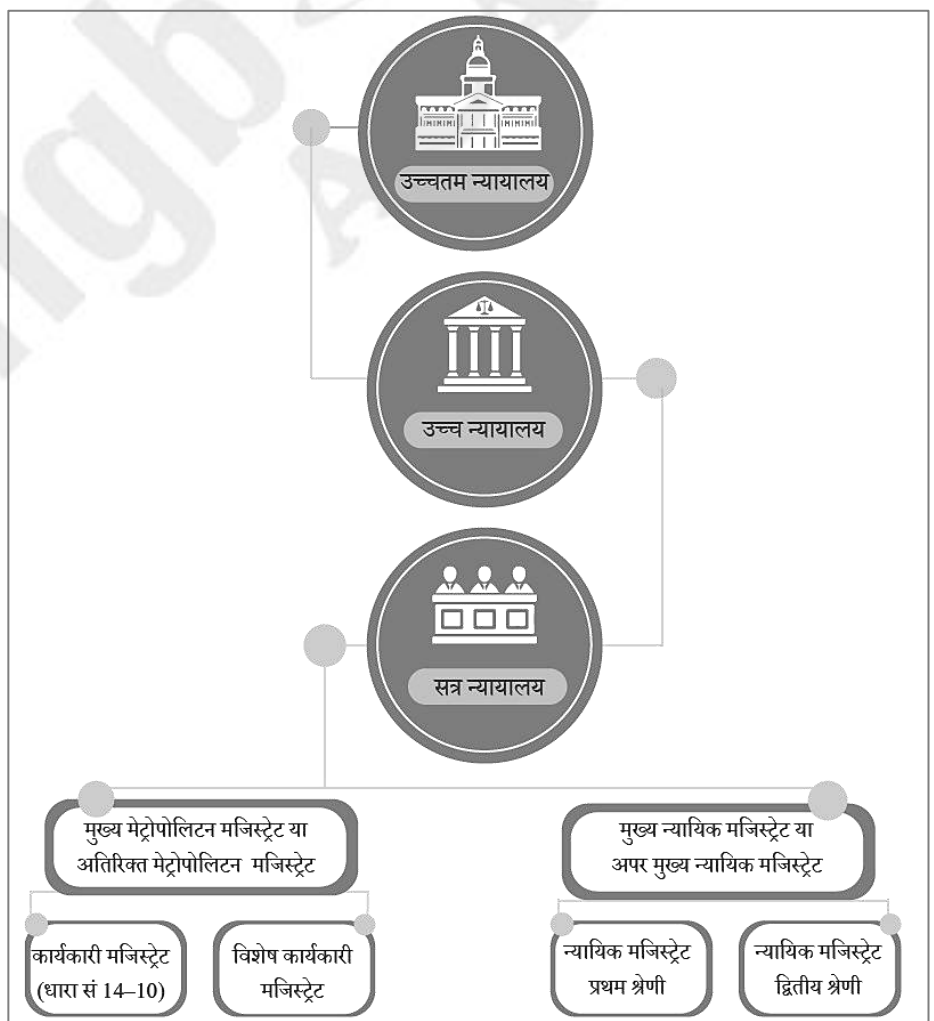
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जब पुलिस तलाशी लेती है या साक्ष्य के तौर पर कुछ लेती है, तो उसे वीडियो पर रिकॉर्ड करना होता है और फोन या कैमरे का इस्तेमाल करके तस्वीरें लेनी होती हैं। इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि सब कुछ सही तरीके से किया गया है और कुछ भी छूट नहीं गया है। रिकॉर्डिंग और फोटो को फिर स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास सत्यापन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाता है कि सब कुछ कानून के अनुसार किया गया था।
- क्या आप जानते हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की अपेक्षा है कि यौन अपराध के मामलों में पीड़ितों की पहचान को संरक्षित किया जाए ताकि उन्हें लांछित होने से बचाया जा सके।

E. गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का विस्तार किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं-
 - जब कोई पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करता है तो उसके पास उसका नाम और पद दर्शाने वाला पहचान पत्र होना चाहिए।
 - गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को वकील की माँग करने का अधिकार है।
 - जब तक कोई बहुत गंभीर परिस्थिति न हो, किसी महिला को महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
 - गंभीर अपराधों या आदतन अपराधियों के मामले में गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
 - गिरफ्तार व्यक्ति को यह अवश्य बताया जाना चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और यदि अपराध में इसकी अनुमति है तो उसे जमानत पाने का अधिकार है।
 - पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार या उसके द्वारा चुने गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और उसे रखे जाने के स्थान के बारे में सूचित करना चाहिए।
 - मेडिकल प्रतिनिधि द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की जाँच की जानी चाहिए।
 - यदि गिरफ्तार व्यक्ति महिला है, तो महिला चिकित्सा प्रतिनिधि को जाँच करनी चाहिए।
 - वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए।
- क्या आप जानते हैं? किसी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़ कर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

F. जाँच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट (आरोप पत्र या चालान)

- किसी मामले की जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी को अपनी जाँच रिपोर्ट निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक देरी न हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए, यह जाँच सूचना दर्ज करने की तारीख से 60 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में की गई जाँच, एकत्र किए गए साक्ष्य का विवरण शामिल होता है और इसे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट की एक प्रति आरोपी को अधिकार के रूप में प्रदान की जाती है।
- क्या आप जानते हैं? यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का भय हो तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है, ताकि वह हिरासत में लिए जाने से बच सके।



प्रश्नोत्तरी

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- (क) जार्थिक विकास को बढ़ावा देना (ख) व्यक्तियों की सुरक्षा और साक्षा को बढ़ाना
(ग) शिक्षा में सुधार करना (घ) बुनियादी संरचना का विकास करना

(उत्तर-ख)

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के क्रियान्वयन के लिए कौन-सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है?

- (क) शिक्षा मंत्रालय (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(ग) विधि एवं न्याय मंत्रालय (घ) रक्षा मंत्रालय

(उत्तर-ग)

3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसो आरोपो को अधिकतम कितनी अवधि तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है?

- (क) 24 घंटे (ख) 48 घंटे
(ग) 72 घंटे (घ) 7 दिन

(उत्तर-क)

4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत शिकायत कौन दर्ज करा सकता है?

- (क) कोई भी व्यक्ति (ख) केवल पुलिस अधिकारी
(ग) केवल सरकारी अधिकारी (घ) केवल आरोपी

(उत्तर-क)

5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को किस कानून के स्थान पर लाया गया है?

- (क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (ख) रण्ड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.), 1975
(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (घ) अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956

(उत्तर-ख)

6. समन क्या है?

- (क) न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश (ख) जुर्माना भरने का आदेश
(ग) गिरफ्तार करने का आदेश (घ) संपत्ति जब्त करने का आदेश

(उत्तर-क)